पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा श्री केदारानाथ धाम परिक्षेत्रान्तर्गत मंदाकिनी तट से मंदिर मार्ग के मध्य सर्व समावेशी अवस्थापना कार्य (IOCL) की योजना के अनुमोदनार्थ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 सितम्बर, 2020 को आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2020 में उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थेः–

1. श्री हरबंस सिंह चुघ, सचिव, नियोजन विभाग (लिंक अधिकारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्रीमती सौजन्या, सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. श्री श्याम सिंह चौहान, संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री गंगा प्रसाद पन्त, तकनीकी विशेषज्ञ, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
7. श्री जी0सी0जोशी, सलाहकार (अभियन्त्रण), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. श्री मुकेश परमार, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।
9. श्री परवीन कण्डवाल, अधिशासी अभियन्ता, डी0डी0एम0ए0 / लोक निर्माण विभाग, गुप्तकाशी, उत्तराखण्ड।
10. श्री जितेन्द्र कुमार, महाप्रबन्धक, गढवाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
11. श्री दिनेश वर्मा, सहायक अभियन्ता, टी0ए0सी0 नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

1. **परियोजना की आवश्यकता एवं औचित्य** :– श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मास्टर प्लान के अनुरूप पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्विकास कार्यो के क्रियान्वयन से सम्पूर्ण केदारपुरी को भव्यता प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये है। इन्ही कार्यो के अन्तर्गत मंदाकिनी तट से मंदिर मार्ग के मध्य सर्व समावेशी अवस्थापना कार्य (IOCL) में पेयजल, सीवरेज एवं ड्रैनेज सम्बन्धी कार्य प्रस्तावित किये गये है।

2. **परियोजना प्राविधान** :– श्री केदारनाथ धाम परिक्षेत्र में मंदाकिनी नदी की ओर से सर्वसमावेशी अवस्थापना कार्यो के अन्तर्गत योजना में निम्न प्राविधान किये गये है :–
   - पेयजल हेतु डी0आई0 / एच0डी0पी0ई0 / पी0पी0आर0 पाईप लाइन (40 एम0एम0 से 450 मि0मी0 व्यास तक)–4.82 मीटर।
   - सीवर पाइप लाइन एच0डी0पी0ई0 (90 मि0–710 मि0मी0 ओ0डी0)–1705 मीटर।
   - आर0सी0सी0 सीवर मैन डोल–103 नं0।
   - Storm Water Channel (साइज 0.75 ग 0.75 मीटर)–240 मीटर।
   - Stone Laying Works–690 वर्ग मीटर
   - Solid Waste Management Works.
   - 5 वर्ष तक Operation and maintenance.
   - वाह्य विद्युतीकरण कार्य।

Pant
14.09.2020

क्रमशः पृष्ठ–2/–

3. **व्यय वित्त समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत राज्य योजना आयोग का अभिमत :–**

- श्री केदारनाथ धाम पुनर्स्थापना एवं पुर्नगठन के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्य CSR (Corporate social responsibility) के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पी0एस0यू0 Indian Oil Corporation द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रस्तावित है।
- परियोजना प्रशासकीय विभाग की विभागीय समिति की दिनांक 28.08.2020 को आहूत बैठक में अनुमोदित है तथा व्यय वित्त समिति प्रस्तुतिकरण की संस्तुति की गयी है।
- योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय भार वहन नहीं किया जाना है। वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–474 दिनांक 01 अगस्त, 2019 में निहित प्राविधानों में यह भी व्यवस्था है कि विशेष परिस्थिति में कोई भी प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है यहां यह उल्लेखनीय है कि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त यह राज्य सरकार का दायित्व न हो प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि सभी संस्थायें समय पर धन उपलब्ध कराते रहें।
- योजना में प्रस्तावित कार्यो की GAD (General Arrangment Drawing) मानचित्र तथा प्रस्तावित कार्य की Detailed Drawing भी उपलब्ध करा दी गयी है।
- प्रस्तावित संरचनाओं की स्ट्रक्चरल डिजायन एवं ड्रॉइंग उपलब्ध करा दी गयी हैं। कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व परियोजना की डिजायन/ड्रॉइंग शासन से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान से अवश्य वैट करा लिये जाय।
- प्रशासकीय विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि योजना में प्रस्तावित मुख्य सर्विस डक्ट, भूमिगत पाईप लाइन्स् का कार्य राजकीय भूमि के अन्तर्गत ही किया जाना प्रस्तावित है। व्यक्तिगत लाईन/कनैक्शन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहमति अथवा नैगोसिएशन की कार्यवाही की जा रही है। निर्माण कार्यों को कराये जाने से पूर्व उक्त पर सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

4. **लागत का विश्लेषण–** प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना की लागत रू0 1187.27 लाख के विरूद्ध राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त **रू0 41.81 लाख** की कटौती करते हुए योजना की औचित्यपूर्ण लागत रू0 1145.46 लाख आंकलित की गयी है। प्रस्तुत योजना में मदवार लागत विश्लेषण निम्न तालिका अनुसार है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

S. No.	Description	Scheduled (DSR) Items	SOR Items	Non Scheduled Items
1	Civil works for Plumbing	127.39	113.40	-
2	Plumbing works	114.75	-	240.61
3	Electrical works	131.91	-	296.36
	Total	**374.05**	**113.40**	**536.97**
	Contingencies @ 3 % + 1%	14.96	4.54	21.48
	Total	**389.01**	**117.94**	**558.45**
	Add GST 12%	-	13.61	-
	Add 7.5% O&M for 5 years	-	-	58.77
	Add vetting charges @ 0.75%	-	-	7.68
	Total	**389.01**	**131.55**	**624.90**
	Say in Lakh		**1145.46**	

परियोजना की कुल लागत :– रू0 1145.46 लाख

क्रमशः पृष्ठ–3/–

Gaunt
14.09.2020

5. **व्यय वित्त समिति में विस्तृत चर्चा के उपरान्त निर्णय :–**

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव लागत सार–4 (Summary of Cost) **में अंकित लागत के सारांश–4 में उल्लिखित मदवार विवरण राज्य योजना आयोग स्तर पर परीक्षणोपरान्त लागत धनराशि रू0 1145.46 लाख** को निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदित किया गया :–

5.1 कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5.2 निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।

5.3 योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय ताकि निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।

5.4 कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इसके पश्चात् डी0पी0आर0 में किसी प्रकार का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में पुनरीक्षण या किसी नये मद को जोड़ने की आवश्यकता होती हो तो पुनः नियमानुसार व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

5.5 निर्माण सामग्री यथा पाईप, Bricks, cement, steel एवं अन्य का I.S.Code के अनुरूप N.A.B.L. Acredited Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

5.6 कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज कार्यो की समस्त Design and Drawing तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं ड्राइंग शासन से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थान से विधीक्षित (Vet) कराया जाय, साथ ही Reinforcement Steel की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किया जाय।

5.7 Electrical Items जैसे Pumps, Motor, Starter, Switches, wires, MCB, MCCB आदि तथा राइजिंग मैन एवं अन्य पाइपों एवं उनसे संबंधित मदों के अंतर्गत Suction, Delivery, Non-return Valves तथा पाईप आदि का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार ही किया जाय। इन मदों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्रय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म की अधिकृत वर्कशाप में गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के पश्चात् ही सामग्री क्रय की जाय।

5.8 प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि इस परियोजना में प्रस्तावित किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति न हो।

5.9 आगणन में डी0एस0आर0 2018 की दरें ली गई है तथा मजदूरी की दरें डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ क्षेत्र हेतु निर्धारित दरों के आधार पर ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित है। विशिष्टयों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें है।

Pant
14.09.2020

क्रमशः पृष्ठ–4/–

5.10 मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

व्यय वित्त समिति के उपरोक्त क्रमांक 5.1—5.10 तक निहित शर्तो का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष /सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंव विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेगें, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सकें।

उक्त प्रतिबन्धों का समावेश इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले शासनादेश में अवश्यमेव कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

14.09.2020.

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्याः 964 /617/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/लो0नि0वि0/2020—21
देहरादूनः दिनांकः 17 सितम्बर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
3. प्रोग्रामर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कार्यवृत्त को वेबसाइट में अपलोड करे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव